निर्वाचन आयोग की पिछले 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत

चुनाव प्रक्रिया व मतदाता सुविधा को मजबूत करेंगे

समाचार जगत ब्यूरो

भीलवाड़ा. मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़े प्रयास के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पिछले 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत की है। ये पहलें प्रक्रियात्मक सुधारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हितधारकों के साथ सहभागिता तक फैली हुई हैं। यह अवधि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद के पहले 100 दिनों में रचनात्मक, व्यावहारिक और सक्रिय उपायों की रही है। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सम्मेलन के दौरान ECI के नए दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

प्रमुख सुधार : मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है।

घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ECI का लक्ष्य है कि वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता 2 किमी से अधिक दूरी तय न करे। मतदाता सूचना पर्चियों (Voter Information Slips) को अब और स्पष्ट बनाया गया है, जिसमें क्रम संख्या और भाग संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मोबाइल जमा सुविधा (Mobile Deposit Facility) शुरू की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा लगाए जाने वाले बूथ अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे, पहले यह सीमा 200 मीटर थी।

डिजिटल और प्रौद्योगिकी सुधार: ECINET नामक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिससे सभी सेवाएं एक ही मंच पर मिल सकेंगी। इससे 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों की आवश्यकता समाप्त होगी। कुछ मॉड्यूल वर्तमान उप-चुनावों में उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव तक यह पूरी तरह लागू हो जाएगा। मृत्यु पंजीकरण डेटा को भारत के रजिस्ट्रार जनरल से सीधे जोड़ा गया है, जिससे मृत मतदाताओं के नाम समय पर और सत्यापित रूप से हटाए जा सकें। E-Office प्रणाली चालू कर दी गई है और मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत हुई है।

मतदाता सूची और प्रशिक्षण : उप-चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) किया गया, जो कि RP अधिनियम, 1950 के तहत पहली बार हुआ है। 28 विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। Booth Level Officers (BLOs) और उनके पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अब तक 3,500 से अधिक BLOs/BLO Supervisors को IIIDEM में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी 45 दिनों में लगभग 6,000 BLOs/Supervisors को 20 बैचों में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक लाख BLO Supervisors को आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। सभी BLOs को मानकीकृत फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे।

राजनीतिक सहभागिता : ECI ने देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की, जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें CEO स्तर पर 40, DEO स्तर पर 800 और ERO स्तर पर 3,879 बैठकें शामिल हैं।

दिल्ली में AAP, BJP, BSP, CPI(M), NPP जैसी पार्टियों के साथ बैठकें की गईं।

चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सुविधा को मजबूत करने के लिए पिछले 100 दिनों में ECI द्वारा शुरू की गई 21 पहलें

● जयपुर, गुलाबी टाइम्स

नई दिल्ली। मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़े प्रयस के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत की है। ये पहलें प्रक्रियात्मक सुधारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हितधरकों के साथ सहभागिता तक फैली हुई हैं। यह अवधि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद के पहले 100 दिनों में रचनात्मक, व्यावहारिक और सक्रिय उपायों की रही है। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन के दौरान भ्रष्टहु के नए दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

प्रमुख सुधार: मतदाताओं की सुविधा बढ़ने के लिए, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है।

घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

ECI का लक्ष्य है कि वोट डलने के लिए कोई भी मतदाता 2 किमी से अधिक दूरी तय न करे।

मतदाता सूचना पर्चियों को अब और स्पष्ट बनाया गया है, जिसमें क्रम संख्या और भाग संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मोबाइल जमा सुविधा शुरू की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा लगाए जाने वाले बूथ अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे, पहले यह सीमा 200 मीटर थी।

डिजिटल और प्रौद्योगिकी सुधार: ECINET नामक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिससे सभी सेवाएं एक ही मंच पर मिल सकेंगी। इससे 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों की आवश्यकता समाप्त होगी। कुछ मॉड्यूल वर्तमान उप-चुनावों में उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव तक यह पूरी तरह लागू हो जाएगा। मृत्यु पंजीकरण डेटा को भारत के रजिस्ट्रार जनरल से सीधे जोड़ा गया है, जिससे मृत मतदाताओं के नाम समय पर और सत्यापित रूप से हटाए जा सकें।

E-Office प्रणाली चालू कर दी गई है और मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत हुई है।

मतदाता सूची और प्रशिक्षण: उप-चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया, जो कि RP अधिनियम, 1950 के तहत पहली बार हुआ है। 28 विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई 21 नई पहलें (19 फरवरी 2025 – 29 मई 2025):

1. प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाता सीमा को 1200 तक सीमित किया गया
2. ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र
3. मृत मतदाताओं के नाम हटाने हेतु RGI डेटा का प्रत्यक्ष एकीकरण
4. मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना
5. मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा
6. पूरे भारत में CEO/DEO/ERO स्तर पर सर्वदलीय बैठकें - कुल 4,719 बैठकें
7. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें
8. मान्यता प्राप्त दलों के BLAs के लिए IIIDEM में प्रशिक्षण
9. उम्मीदवारों के प्रचार बूथों की दूरी 200 मीटर से घटाकर 100 मीटर
10. ECINET सभी सेवाओं के लिए एकीकृत डैशबोर्ड
11. डुप्लीकेट EPIC नंबर समस्या का समाधान; यूनिक EPIC नंबर की व्यवस्था
12. 28 हितधारकों की पहचान
13. इन सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और इनका प्रस्तुतिकरण
14. ECI वकीलों की राष्ट्रीय कान्फ्रेंस

चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सुविधा को मजबूत करने के लिए पिछले 100 दिनों में ईसीआई ने शुरू की 21 पहलें

अलवर न्यूज

अलवर। मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़े प्रयास के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत की है। ये पहलें प्रक्रियात्मक सुधारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हितधारकों के साथ सहभागिता तक फैली हुई हैं। यह अवधि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद के पहले 100 दिनों में रचनात्मक, व्यावहारिक और सक्रिय उपायों की रही है। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन के दौरान

ईसीआई के नए दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है।

घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

ईसीआई का लक्ष्य है कि वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता 2 किमी से अधिक दूरी तय न करे।

मतदाता सूचना पर्चियों को अब और स्पष्ट बनाया गया है, जिसमें क्रम संख्या और भाग संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित होगी।

प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मोबाइल जमा सुविधा शुरू की जाएगी।

उम्मीदवारों द्वारा लगाए जाने वाले बूथ अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे, पहले यह सीमा 200 मीटर थी।

भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू की 21 नई पहलें

एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे

(अमित अक्षर)

बारां, 29 मई। भारत में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और मतदाता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने बीते 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों के पीछे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में सक्रिय, रचनात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने मिलकर चुनाव तंत्र में कई अहम सुधारों को अमल में लाया है।

मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में इन

पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जो देश भर में बेहतर चुनावी अनुभव और समन्वित प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

मतदाताओं की सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार

अब एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे, जिससे भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जैसे ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में नए मतदान केन्द्र खोले जाएंगे। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी मतदाता 2 किमी से अधिक दूरी तय न करे। उम्मीदवारों द्वारा प्रचार बूथ अब 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे, जो पहले 200 मीटर थी।

डिजिटल और तकनीकी नवाचार

ईसीआईनेट डैशबोर्ड – अब सभी चुनाव सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी, जिससे 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों की जरूरत समाप्त होगी। मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए त्ळप् डेटा से सीधा लिंक स्थापित किया गया है। ईसीआई मुख्यालय में ई ऑफिस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत हुई है।

प्रशिक्षण और जागरूकता में विस्तार

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आयोजन आरपी अधिनियम, 1950 के तहत पहली बार किया गया। 28 प्रमुख हितधारकों की पहचान कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। बीएलओ और उनके पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण चल रहा है। अब तक 3,500 बीएलओ सुपरविजन को प्रशिक्षण मिल चुका है; अगले 45 दिनों में 6,000 और प्रशिक्षित किए जाएंगे। बीएलओ को अब मानकीकृत फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग की नई पहल से मतदाता सुविधा और चुनाव प्रबंधन को मिलेगा नया आयाम

वारां, 29 मई (हाड़ौती संचार)।

देश में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और मतदाता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने बीते 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों के पीछे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में सक्रिय, रचनात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने मिलकर चुनाव तंत्र में कई अहम सुधारों को अमल में लाया है। मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में इन पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जो देश भर में बेहतर चुनावी अनुभव और समन्वित प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

मतदाताओं की सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार-

अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे, जिससे भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जैसे ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में नए मतदान केंद्र खोले जाएंगे। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी मतदाता 2 किमी से अधिक दूरी तय न करे। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक स्पष्ट और जानकारीपूर्ण बनाया गया है। मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधा शुरू की जा रही है। उम्मीदवारों द्वारा प्रचार बूथ अब 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे, जो पहले 200 मीटर थी।

डिजिटल और तकनीकी नवाचार-

ईसीआईनेट डैशबोर्ड -अब सभी चुनाव सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी, जिससे 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों की जरूरत समाप्त होगी। मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए डेटा से सीधा लिंक स्थापित किया गया है। ईसीआई मुख्यालय में ई ऑफिस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत हुई है।

प्रशिक्षण और जागरूकता में विस्तार-

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आयोजन आरपी अधिनियम, 1950 के तहत पहली बार किया गया। 28 प्रमुख हितधारकों की पहचान कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। बीएलओ और उनके पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण चल रहा है। अब तक 3 हजार 500 बीएलओ सुपरविजन को प्रशिक्षण मिल चुका है, अगले 45 दिनों में 6 हजार और प्रशिक्षित किए जाएंगे। बीएलओ को अब मानकीकृत फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे।

राजनीतिक सहभागिता में मजबूती-

देश भर में कुल 4 हजार 719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 28 हजार से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट (बीएलए) को भी प्रशिक्षण मिल रहा है। प्रारंभिक चरण में बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीएलए) को प्रशिक्षण दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण कदम-

सीईओ कार्यालयों के मीडिया अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के पुलिस अधिकारियों को बहु-एजेंसी समन्वय के लिए प्रशिक्षित किया गया। ईसीआई वकीलों और राज्यों के सीईओ की राष्ट्रीय कान्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ वकील शामिल हुए। इन 21 पहलों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह न केवल चुनाव कराने वाली संस्था है, बल्कि एक आधुनिक, सहभागी और तकनीकी रूप से सक्षम संस्था के रूप में लोकतंत्र की मजबूती में निरंतर योगदान दे रही है।